प्रश्न 1413 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालयों में राजभाषा फार्मूला के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों की अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कानून की पुस्तकों और पत्रिकाओं पर निर्भर करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबध में क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी नहीं । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने, 1264 केन्द्रीय अधिनियमों के अद्यतन प्राधिकृत पाठ हिन्दी में प्रकाशित किए हैं । बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों को द्विभाषीय रूप (अंग्रेजी-हिन्दी) में भी प्रकाशित किया गया है । केन्द्रीय सरकार हिन्दी में दो विधि पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर रही है, जिनमें से एक उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और दूसरी उच्च न्यायालयों के निर्णयों को प्रकाशित करने के लिए है । इसके अतिरिक्त, हिन्दी में विधि पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष पारितोषिक देकर प्राइवेट प्रकाशकों को प्रोत्साहित करती है ।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों का प्रश्न है राज्य सरकारों को, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 137 और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अधीन न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को विनिर्दिष्ट करने के लिए शक्ति दी गई है । जहां तक हमें ज्ञात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकांश कार्य हिन्दी में किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश और बिहार के न्यायालयों में भी बड़ी मात्रा में कार्य हिन्दी में किया जा रहा है । हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने भी विधि न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ा दिया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों पर, राज्य के विधान को और राज्य उच्च न्यायालय के निर्णयों को हिन्दी में उपलब्ध कराने की आवश्यकता के महत्व के बारे में बल देती रहती है ।

न्यायालय के हिन्दी में निर्णय

22. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या विधि और न्याय मंत्री 9 मार्च, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1412 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंग्रेजी से हिन्दी में बदलाव लाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, इस आशय का कोई संवैधानिक संशोधन लाने का विचार रखती है कि उच्चतम न्यायालय पुनरीक्षण के समय, हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में दिए गए निर्णयों पर विचार केवल हिन्दी भाषा में करें ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों को अपने न्यायालयों के निर्णय हिन्दी में दिए जाने का आग्रह करेगी; जैसा कि अन्य हिन्दी भाषी राज्यों में किया जा रहा है ; और

(ग) क्या "क" और "ख" क्षेत्रों के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय देश की राजभाषा पर लगे प्रतिबन्ध को, जो स्वतंत्र देश के लिए कलंक है, हटाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद से आग्रह करेगी ताकि अधिवक्ता अपना काम हिन्दी में भी कर सकें ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । संविधान के अनुच्छेद 348(2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन राज्य

अधिकारों को उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ करने के लिए शक्ति पहले से ही दे दी गई है ।

(ग) चूंकि संविधान के अनुच्छेद 348(1) में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी, अतः उच्चतम न्यायालय में वकील हिन्दी में केवल तभी विधि व्यवसाय कर सकते हैं जब कि संसद द्वारा इस आशय की कोई विधि बनाई जाए ।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम

23. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1987 को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम, 1986-87 का 18वां वर्ष समाप्त हो गया है यदि हां, तो गत अनेक वर्षों के दौरान वार्षिक कार्यक्रम को पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कानून के तहत मुख्यालय के हिन्दी नाम अभी घोषित नहीं किये गये हैं ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिन्दी प्रशिक्षण नियमित रूप से न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उनके मंत्रालय के अधीन कितने उपक्रम हैं और उनमें से कितने उपक्रमों ने राजभाषा फार्मूले के कार्यान्वयन के संबंध में नवीनतम तिमाही रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं और कितने उपक्रमों ने तिमाही रिपोर्टें अब तक प्रस्तुत नहीं की हैं ; उन उपक्रमों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिन्होंने वार्षिक कार्यक्रम को पूरी तरह से, अधूरी तरह से पूरा किया और जिन्होंने यह कार्य प्रारम्भ किया और जिन्होंने इस संबंध में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है ; और

(घ) चूक करने वाले एककों द्वारा फार्मूले के कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Gas struck in Godavari offshore

24. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that gas has been struck in the Godavari offshore area recently;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) which are the other places in Andhra Pradesh where drilling for oil exploration is going on or is proposed to be undertaken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BRAHM DATT): (a) and (b) Yes, Sir. Well GS-8-1 during initial testing, flowed gas at the rate of 98,000 cubic meters per day approximately through 1/4 inch choke.

(c) Exploratory drilling is in progress in the following places:—

1. Razole
2. Komugudem
3. Konukollu
4. Tatipaka
5. Surasanianam.